बहुत ऊंचे हैं और उनका खरीदना साधारण व्यक्ति की शक्ति से परे है;

(ख) सरकार ने औषधियों के मूल्यों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है ताकि साधारण व्यक्ति उक्त औषधियों को खरीद सकें; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार, देश में निर्मित या आयतित प्रत्येक प्रतिजीवाणु औषधि की कितनी कीमत ली गई ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) यह कहना ठीक नहीं है कि साधारण बीमारियों के इलाज के लिये अपेक्षित सभी पेटेंट औषधियों के मूल्य देश में ऊंचे हैं। यह भली भांति मालूम है कि अत्यावश्यक औषधियां विभिन्न नामों तथा निरुपणों से विभिन्न मूल्यों पर उपलब्ध है, जिससे खरीदार की पसंद की गुंजाइश रहती है। यद्यपि कारटिकोस्टीरोइड्ज, वराड स्पैक्टरम प्रतिजीवाणु जैसी कुछ औषधियों के मूल्य ऊंचे हैं लेकिन पैनिसिलिन,स्ट्रपटोमाइसिन सल्फेट जैसी कुछ औषधियों, विटामिन युक्त सामग्री तथा अनलजेसिकस के मूल्य उचित हैं।

(ख) सरकार ने औषधियों के मूल्य कम करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

1) भेषओं तथा औषधियों को ड्रग्ज प्राइसिस (डिस्पले एंड कन्ट्रोल) आर्डर, 1966 द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। इस आदेश में यह निहित है कि नई औषधियों, नई सामग्री के मूल्य निर्धारित करने के लिये और मौजूदा औषधियों के मूल्यों में वृद्धि करने के लिये सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। वे औषधियां जो उल्लिखित मान्य औषध-कोष में शामिल हैं तथा मान्य औषध नामों के अन्तर्गत बेचे जाते हैं और आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियां इस आदेश के उपबन्धों से मुक्त है;

2) दो प्रकार का कच्चा माल अर्थात चीनी तथा अल्कोहल नियन्त्रित मूल्यों पर दिया जाता है;

3) निर्माण करने वाले कारखानों को अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल करने के योग्य बनाने के लिये इस उद्योग को प्राथमिक उद्योगों की सूची में शामिल कर दिया गया है और आयातित कच्चे माल की पूर्ण आवश्यकताएं मुहैया की जाती हैं; और

4) क्योंकि निर्माताओं द्वारा ऊंचे मूल्य लेने के बारे में शिकायत थी, टैरिफ आयोग से 18 महत्वपूर्ण बैसिक औषधियों तथा उनके निरुपणों के मूल्यों में जांच करने की अनुरोध किया गया था। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसपर विचार किया जा रहा है।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

तीसरा वेतन आयोग

88. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री अदिचन :
श्री के० हाल्दर :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री जि० मो० विश्वास :
श्री तुलसीदास जाधव :
श्री निहाल सिंह :
श्री शिव चरण लाल :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री मंगलाधुमाडोम :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये एक

वेतन आयोग स्थापित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राष्ट्रीय श्रम आयोग ने केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग की नियुक्ति की सिफारिश की है।

(ख) सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अक्तूबर, 1969 में बैठक

89. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक बैठक सितम्बर और अक्तूबर, 1969 में वाशिंगटन में हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या-क्या निर्णय किये गये; और

(ग) उक्त निर्णयों का भारतीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के गवर्नरों के बोर्ड की वार्षिक बैठक वाशिंगटन में 29 सितम्बर और 3 अक्टूबर, 1969 के दौरान हुई थी। गवर्नरों के बोर्ड ने, 30 अप्रैल, 1969 को समाप्त हुए वर्ष के सम्बन्ध में निधि के कार्यकारी निदेशकों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के अलावा, हाल ही में बनायी गयी विशेष आहरण अधिकार योजना में भाग लेने वाले देशों को 1 जनवरी, 1970 से शुरू होने वाले तीन वर्षों में 9.5 अरब डालर के विशेष आहरण अधिकारों का नियतन करने का फैसला किया। अनुमान है कि 1970 में 3.5 अरब डालर का और 1971 और 1972 में 3.3 अरब डालर का नियतन किया जायेगा। विशेष आहरण अधिकारों का नियतन सदस्य-देशों के अपने-अपने कोटे के आधार पर किया जायगा। इस आधार पर, यह अनुमान है कि भारत को 1970 में 13 करोड़ डालर और 1971 तथा 1972 में से प्रत्येक वर्ष में 10.5 करोड़ डालर की रकम प्राप्त होगी गवर्नरों के बोर्ड ने एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया जिसके द्वारा कार्यकारी निदेशकों से, दिसम्बर 1969 के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के कोटों की पांचवीं पंचवर्षीय समीक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया।

Constitution of Brahmaputra Commission

90. SHRI BEDABRATA BARUA :
SHRI K. LAKKAPPA :
SHRI YAMUNA PRASAD MANDAL :
DR. SUSHILA NAYAR :
SHRI S. M. KRISHNA :
SHRI A. SREEDHARAN :

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the Brahmaputra Commission has been constituted;

(b) if not, the reasons for the delay and

(c) whether necessary funds have been earmarked for the Commission?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) to (c). The proposal to set up an autonomous organisation by the name of "Brahmaputra Flood Control Board" for planning and execution of flood control works in the